

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज

न्यायालय, रायचणु अधिकारी केनेडा  
राजेश्वर गाडरी के नाम प्रमाणित की 20 प्रतिक्रमण

क्रिम-9847

नं० - 25/12

12/4/17

पत्रावली पेश हुई। यादी का पत्रावली 34 रि-धव।  
पत्रावली वाले रिपोर्ट क्रिम 22/5/18 को पेश हो।

राजेश्वर गाडरी

9166691134

15.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम  
बेंरा में पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता उपस्थित।  
विपक्षी संख्या 01 नियम शिविर में अनुपस्थित।  
विपक्षी राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा की और से  
पैरोकार उपस्थित। प्रस्तुत वाद पत्र पर अधिवक्ता  
वादी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया  
गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।  
प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि  
वादग्रस्त भूमि में वादी के हक एवं हिस्से की भूमि  
पर प्रतिवादी का कोई अनाधिकृत अतिक्रमण पाया  
जावे तो उक्त अतिक्रमित भूमि का कब्जा वादीगण  
पुनः प्राप्त करने का हकदार हैं। अतः वादपत्र वादी  
न्यायिक दृष्टिकोण से स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

वादी का वादपत्र विरुद्ध विपक्षी संख्या 01  
स्वीकार किया जाकर, विस्तृत निर्णय पृथक से  
लिखवाया जाकर, सरे ईजलास सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर  
फैसल शुमार हो।